प्रेस नोट थाना राजघाट गोरखपुर दिनांक 03.06.2022

शातिर वाहन चोर एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल एवं 12.5 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम मादक पदार्थो के व्यापार के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 03 जून 2022 को थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत चौकी प्रभारी अनूप मिश्र द्वारा एक अदद मोटरसाइकिल चोरी की हीरो होंडा पैशन प्रो यूपी 53 ए वाई 6254 एवं 12.5 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ अभियुक्त सनी कुमार चौधरी उर्फ गोलू पुत्र श्री राम चौधरी निवासी 104 प्रोफेसर कॉलोनी बसारतपुर थाना शाहपुर जिला गोरखपुर को समय करीब 12:35 बजे राजघाट पुल के नीचे बैकुंठधाम घाट से गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 143/2022 धारा 41/411 भादवि एवं मुकदमा अपराध संख्या 144/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया |

अभियुक्त के पास बरामदगी –
एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल
12.5 ग्राम नाजायज स्मैक।

गिरफ्तारी का स्थान एवं समय:-
राजघाट पुल के नीचे बैकुंठ धाम घाट, दिनांक 03..06.2022 समय:12:35 बजे

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1- मु.अ. सं. 95/21 धारा 379,411 भादवि थाना जीआरपी गोरखपुर
2- मु.अ.सं. 143/22 धारा 41,411 भादवि थाना राजघाट गोरखपुर
3- मु.अ. सं. 144/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना राजघाट गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम :-

1- उपनिरीक्षक अनूप कुमार मिश्र थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2- हे. कां. हरेन्द्र सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
3- कां.मंगलदीप यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
4- कां. अशोक यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर